

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2017/

दिनांक :

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जयपुर प्रथम/श्रीगंगानगर/उदयपुर।

विषय : आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण हेतु।

--- :: --- :: ---

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के प्रशासनिक विभाग के अनुमति पत्र क्रमांक प. 25(9)चिस्वा/2/2012 दिनांक 08.05.12 के द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 06.10.10 के अनुसार आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण अवधि 06 माह का कार्यक्रम निर्धारित करने हुए शेष रहें 06 माह के प्रशिक्षण हेतु उक्त अधिसूचना के बिन्दू संख्या 06 के अनुसार इस विभाग के फार्मसी/पीएचसी/ग्रामीण औषधालय अथवा जिला अस्पताल में उक्त प्रशिक्षण पूरा करने का विवरण अंकित है।

अतः आपको आदेश दिये जाते हैं कि इस विभाग को अग्रेषित निम्नांकित छात्रों को प्रशिक्षण हेतु स्वीकृति में अंकित किसी भी संस्थान में प्रशिक्षण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का श्रम करें:-

क.सं	छात्र का नाम	पता	इन्टर्नशिप संस्थान
1.	डॉ० प्रज्ञा खींची	पुत्री श्री छगल लाल खींची, मकान न. 560, इण्डियन पेट्रोल पम्प के पीछे, गार्डन रोड, विवेकानन्द नगर जिला कोटा।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।
2.	डॉ० हरदेवा राम	पुत्र श्री सुल्तान राम निवासी वी० करड़ तहसील सूरजगढ जिला श्रीगंगानगर।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।
3.	डॉ० पुखराज सौकरिया	पुत्र श्री हीरालाल सौकरिया, निवासी बैनाड रोड, निंदड बैनाड, रेलवे स्टेशन के सामने, शिवशक्ति विहार कॉलोनी, प्लाट न. 333, झोटवाड़ा जिला जयपुर।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।
4.	डॉ० संजय डामोर	पुत्र श्री मोतीलाल डामोर निवासी उपला-फला, (खाण्डी ओबरी) ग्राम पंचायत करनाउवा तह० खैरवाड़ा जिला उदयपुर।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2017/ 706

दिनांक : 6/11/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. संबंधित छात्रों को पालनार्थ।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।